(फोटोकापी) (47) (1)

समक्ष अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.केम्प भोपाल

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

अधिवक्ता श्री रत्नेश दुबे जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 29/08/18 A.S.

1. मकसूद हसन खान पिता मेहमूद खान A.R.B-6115/2018/होशंगाबाद/भू.रा.स.
2. मक्बूल हसन खान पिता मेहमूद खान

दोनों निवासी वार्ड नं0–4,मस्जिद मोहल्ला सिवनीमालवा,

तह. सिवनीमालवा,जिला होशंगाबाद ....पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. रहमन उल्लाह आ0 अहमद खॉ
2. अकरम उल्लाह आ. अहमद खॉ
3. ताहिरा बेगम पुत्री अहमद खॉ

तीनों निवासी सिवनीमालवा

तहसील सिवनीमालवा,जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग,होशंगाबाद द्वारा रा0प्र0क0–52/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 जिसकी जानकारी दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त हुई एवं नकल दिनांक 28.05.2018 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने से समयावधि में यह याचिका प्रस्तुत करते हैं। जिसके द्वारा अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित प.क. –3/अ–6 वर्ष 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2005 दिन अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनीमालवा द्वारा रा.प्र.क.–21–अ–6 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2003 एवं संशा दिनांक 15.02.1998 निरस्त किया है एवं प्रकरण अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार महोदय को प्रत्यावित्तत किया जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

याचिका के आधार

1. यह कि निम्न न्यायालय अपर आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण में निम्न न्यायालय के अभिलेख बुलाये बिना बगैर प्रकरण का अवलोकन ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-6115/2018/Rev./होशंगाबाद [मकसूद हसन/रहमत उल्लाह]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-05-19	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0पी0यादव उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष कलेक्टर के निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर खारिज किया है कि निगरानी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । रीडर अध्यक्ष	